अनुदान संख्या 64 - श्रम और रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 64 - MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	13183,86,00				
				13183,88,00	11508,17,95	-1675,70,05
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1608,98,99
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			37,87,00	31,44,37	-6,42,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2,38,33

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें/अधिक व्यय हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	62254.00			
			61613.45	60261.64	-1351.81
पु.	R.	-640.55			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Major Head "2230" Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	1128332.00			
पू.	S.	2.00	1093425.56	1088208.86	-5216.70
पु.	R.	-34908.44			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	124350.00	..	..	..
पु.	R.	-124350.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1100.00	..	..	..
पु.	R.	-1100.00			

(I) तेरह शीर्षों के अंतर्गत ₹125550.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹124222.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹125550.00 lakhs remained wholly unutilised under thirteen heads; of these ₹124222.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" – "श्रम – श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा" –

(A) Major Head "2552" - "Labour - Social Security for Labour" -

(क) "सामाजिक सुरक्षा योजनाएं" – ₹25830.00 लाख;

(a) "Social Security Schemes" - ₹25830.00 lakhs;

(ख) "कर्मचारी पेंशन योजना, 1995" – ₹91670.00 लाख;

(b) "Employees' Pension Scheme, 1995" - ₹91670.00 lakhs;

(ग) "असम में बागान श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन–सह–जीवन बीमा योजना" – ₹4781.00 लाख; और

(c) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - ₹4781.00 lakhs; and

(घ) "असम में चाय बागान श्रमिकों के लिए जमाराशि से जुड़ी बीमा योजना" – ₹1119.00 लाख।

(d) "Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam" - ₹1119.00 lakhs.

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों को कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग करने तथा शेष राशि को अभ्यर्पित कर दिए जाने के कारण उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रह गए।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹822.00 लाख उपयोगिता प्रमाण पत्र न होने, पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण।

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Employment Generation Programmes" - ₹822.00 lakhs - due to non-receipt of utilisation certificates, availability of unspent balances of previous years and less demand from implementing agencies.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुईः–

(II) Under Major Head "2251" - savings occurred under the following heads:-

(का) "संलग्न कार्यालय – अन्य मदें" – ₹1384.23 लाख की बचत (₹21837.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; तथा

(A) "Attached Offices - Other Items" - saving of ₹1384.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21837.00 lakhs); and

(खा) "अन्य कार्यालय – अन्य मदें" – ₹1962.02 लाख की बचत (₹29081.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Other Offices - Other Items" - saving of ₹1962.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29081.00 lakhs).

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत रिक्त पदों को न भरने तथा कम छुट्टी यात्रा शिकायत दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and receipt of less leave travel concession claims.

(III) मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुईः–

(III) Under Major Head "2230" - "Labour" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसंधान और सांख्यिकी – अन्य मदें" – ₹6059.98 लाख की बचत (₹9330.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(A) "Research and Statistics - Other Items" - saving of ₹6059.98 lakhs (against the sanctioned

तुलना में) सर्वेक्षण कार्य पूरा न करने और सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, कम आउटसोर्स कर्मचारियों को काम पर रखने, कम कार्यालय और आवासीय भवनों को किराए पर लिए जाने के कारण हुई।

provision of ₹9330.00 lakhs) was due to non-completion of survey work and non-submission of survey report by the survey agency, hiring of less outsourced staff, office and residential buildings.

(खा) "श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा – सामाजिक सुरक्षा योजनाएं" – ₹84025.49 लाख रुपये की बचत (₹191763.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कम मांग, असंगठित कामगार के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस से अनुग्रह भुगतान का कम दावा और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजनाओं में जीवन बीमा निगम द्वारा कम मांग के कारण हुई।

(B) "Social Security for Labour - Social Security Schemes" - saving of ₹84025.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹191763.00 lakhs) was due to less demand by Employee's Provident Fund Organisation under Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana, less claim of ex-gratia payment from National Data Base for Unorganised Worker and less demand by Life Insurance Corporation in Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan and Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Schemes.

(गा) "बाल/महिला श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार – स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता – अनुदान और बंधुआ मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना" – ₹1172.15 लाख की बचत (₹1346.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनसीएलपी दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेजों की प्राप्ति न होने और उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "Improvements in Working Conditions of Child/Women Labour - National Child Labour Project including Grants-in-aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour" - saving of ₹1172.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1346.00 lakhs) was due to non-receipt of documents as per NCLP guidelines and non-receipt of utilisation certificate.

(घा) "शिक्षा – दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड" – ₹797.85 लाख की बचत (₹11310.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा होने में देरी के कारण हुई।

(D) "Education - Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development" - saving of ₹797.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11310.00 lakhs) was due to delay in completion of work by Central Public Works Department.

(ङ.) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "अन्य मदें" – ₹918.21 लाख की बचत (₹980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेशेवरों द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा न करने और सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

(a) "Other Items" - saving of ₹918.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹980.00 lakhs) was due to non-completion of survey work by the professionals and non-submission of survey report by the survey agency.

(ख) "सामाजिक सुरक्षा योजनाएं" – ₹27068.25 लाख की बचत (₹49284.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; तथा

(चा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "सामाजिक सुरक्षा योजनाएं" – ₹14405.00 लाख की बचत (₹25705.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कम मांग, असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस से अनुग्रह भुगतान का कम दावा प्राप्त होने तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजनाओं में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कम मांग के कारण हुई।

(ख) "श्रम कल्याण योजना" – ₹559.63 लाख की बचत (₹645.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों से कम दावा प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1215.78 लाख की बचत हुई, जिनमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचत का आंशिक रूप से (₹2868.10 लाख) उपयोग पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधानों को बढ़ाने के लिए किया गया, जैसा कि मुख्य शीर्ष "2230" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था:–

(का) "श्रम – सामान्य श्रम कल्याण – सामान्य श्रम कल्याण योजनाएँ" – ₹1847.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1741.98 लाख था।

(b) "Social Security Schemes" - saving of ₹27068.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49284.00 lakhs); and

(F) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Social Security Schemes" - saving of ₹14405.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25705.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less demand by Employee's Provident Fund Organisation under Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana, less claim of ex-gratia payment from National Data Base for Unorganised Worker and less demand by Life Insurance Corporation in Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan and Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan Schemes.

(b) "Labour Welfare Schemes" - saving of ₹559.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹645.00 lakhs) was due to receipt of less claim from beneficiaries.

(IV) Under three heads savings of ₹1215.78 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 36 percent to 95 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹2868.10 lakhs) utilised for augmenting the provisions by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under Major Head "2230" - under the following heads:-

(A) "Labour - General Labour Welfare - General Labour Welfare Schemes" - ₹1847.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1741.98 lakhs.

(खा) "रोजगार सेवा – रोजगार सेवाएं – रोजगार प्रोत्साहन योजना" – ₹1021.10 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹988.53 लाख था।

(II) बचत को निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गयाः–

(का) मुख्य शीर्ष "2251" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – आईएलओ में भारत का योगदान" – ₹1469.57 लाख का अधिक व्यय (₹2684.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्विस फ्रैंक की विनिमय दर में वृद्धि के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम – श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा" –

(क) "कर्मचारी पेंशन योजना, 1995" – ₹87756.00 लाख का अधिक व्यय (₹594030.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "असम में बागान श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन–सह–जीवन बीमा योजना" – ₹4781.00 लाख का अधिक व्यय (₹35.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); तथा

(ग) "असम में चाय बागान श्रमिकों के लिए जमाराशि से जुड़ी बीमा योजना" – ₹1106.00 लाख का अधिक व्यय (₹35.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीनों शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय मुख्य शीर्ष "2552" से उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग हेतु कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुईः–

(B) "Employment Service - Employment Services - Employment Promotion Scheme" - ₹1021.10 lakhs. Actual excess, however, was ₹988.53 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2251" - "International Co-operation - India's Contribution to the I.L.O." - excess of ₹1469.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2684.00 lakhs) was due to increase in exchange rate of Swiss Franc.

(B) Major Head "2230" - "Labour - Social Security for Labour" -

(a) "Employees' Pension Scheme, 1995" - excess of ₹87756.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹594030.00 lakhs);

(b) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - excess of ₹4781.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35.00 lakhs); and

(c) "Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam" - excess of ₹1106.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35.00 lakhs).

Excess under the above three heads were due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4250"	Major Head "4250"				
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	3737.00	3498.67	3103.10	-395.57
पु.	R.	-238.33			

(I) "श्रम – अन्य मदों" के अंतर्गत – ₹760.18 लाख की बचत (₹3442.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों को पूरा न करने और आईटी उपकरण की कम खरीद के कारण हुई।

(I) Under "Labour - Other Items" - saving of ₹760.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3442.00 lakhs) was due to non-completion of work by Central Public Works Department and less procurement of IT equipment.

4- ***बीड़ी श्रमिक कल्याण कोषः–***

बीड़ी निर्माण में लगे व्यक्तियों और उनके आश्रितों की कल्याणकारी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के तहत निधि का गठन किया गया था। इस निधि का वित्तपोषण बीड़ी निर्माण के संबंध में किसी भी उद्देश्य के लिए गोदामों से व्यक्तियों को जारी किए गए तम्बाकू पर बीड़ी श्रमिक उपकर अधिनियम, 1976 के तहत एकत्रित उपकर के शुल्क से किया गया था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के तहत मार्च, 1979 से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बीड़ी श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के तहत 1 जनवरी, 1982 से इसे फिर से लगाया गया।

2023–24 के लिए कोष का लेखा इस प्रकार था:–

4. *Beedi Worker Welfare Fund:-*

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from 1st January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

The Account of the Fund for 2023-24 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-210,70,63
प्राप्ति	Receipts	शून्य NIL
भुगतान	Payments	शून्य NIL
अंतिम शेष	Closing Balance	-210,70,63